(11)

न्यायालय अपील अधिकारण (जिलामजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रकाश राजपुरोहित, आई.ए.एस.

भरण पोषण अधि. अपील संख्या : 04 / 2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थीगण**
1– पोकरराम पुत्र जांवताराम. आयु 61 वर्ष जाति देवासी निवासी ग्राम पाल, तहसील व जिला जोधपुर।		1–श्रीमती सोनीदेवी पत्नी जांवताराम जाति देवासी निवासी ग्राम पाल, तहसील व जिला जोधपुर। 2– खींयाराम पुत्र जावंताराम जाति देवासी निवासी ग्राम पाल, तहसील व जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 16, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.10.2018 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) द्वारा भरण पोषण प्रार्थना–पत्र संख्या 83 / 2017 श्रीमती सोनीदेवी बनाम पोकरराम व अन्य में पारित किया जिसके तहत अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 07.09.2010 निरस्त करने का आदेश दिया गया।

उपस्थितिः–

निर्णय दिनांक 31.01.2019

1– अपीलार्थीपक्ष स्वयं
2– प्रत्यर्थीपक्ष सं0 1, 2 स्वयं

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीया / प्रत्यर्थी–एक श्रीमती सोनीदेवी पत्नी जांवताराम देवासी ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 5 एवं 23 के तहत पेश करते हुए विरूद्ध अप्रार्थीगण / अपीलार्थी पोकरराम व अन्य से 10,000 / – रूपये प्रतिमाह भरण पोषण दिलाने एवं प्रार्थीया से कपटपूर्वक एव असम्यक असर के अंधीन अप्रार्थी–1 / अपीलार्थी के पक्ष में ख.नं.460 / 9 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा ग्राम धिनाणा की ढाणी का निष्पादित बख्शीशनामा दिनांक 07.09.2010 जो उप

लगातार....

पंजीयक तृतीय जोधपुर में पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 331 पृष्ठ सं0 5 के क्रम संख्या 12453 पर दर्ज है, को प्रार्थीया–सोनीदेवी के हको के विरूद्ध शून्य घोषित कराने के लिए उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर के समक्ष पेश हुआ। उपखण्ड अधिकरण जोधपुर द्वारा प्रार्थीया/प्रत्यर्थी सोनीदेवी के प्रार्थना–पत्र पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2018 पारित करते हुए 5000/– 5000/–रूपये प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता देने एवं प्रार्थीया से कपटपूर्वक एव असम्यक असर के अधीन अप्रार्थी–1/अपीलार्थी के पक्ष में ख.नं. 460/9 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा ग्राम धिनाणा की ढाणी का निष्पादित बख्शीशनामा दिनांक 07.09.2010 जो उप पंजीयक तृतीय जोधपुर कार्यालय की पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 331 पृष्ठ सं0 5 के क्रम संख्या 12453 पर दर्ज है को निरस्त करते हुए प्रार्थीया–सोनीदेवी के हको के विरूद्ध शून्य घोषित किया गया, जिससे से व्यथित होकर अपीलार्थी की ओर से यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर (04/2018) कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख भी मंगवाया गया। मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। प्रत्यर्थीपक्ष 1 व 2 तारीख पेशी 15.01.2019 को अजखुद उपस्थित हुए। प्रत्यर्थी–एक की ओर से दिनांक 28.01.19 लिखित बहस पेश हुई तथा उभयपक्ष की बहस भी सुनी गई। दौराने बहस अपीलार्थीपक्ष की ओर से भी लिखित बहस पेश करने की इस्तदुआ पर आदेश करने से पूर्व लिखित बहस पेश करने की स्वीकृति दी गई। अपीलार्थी की ओर से दिनांक 29.01.19 को लिखित बहस पेश हुई।

अपीलार्थीपक्ष की ओर से बहस में बतलाया कि वो 61 वर्ष का व्यक्ति है तथा आय का कोई स्त्रोत नहीं है तथा वरिष्ठ नागरिक होने के कारण अपील पेश कर सकता है। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीपक्ष की ग्राम पाल के खसरा नम्बर 134 रकबा 19.14 बीघा भूमि पैतृक होने से उनके पिता जांवताराम की मृत्यु होने के पश्चात् अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी–2 खीयाराम के पक्ष में 6.11 बीघा भूमि का हकतर्कनामा हुआ। बहस में आगे बतलाया कि उसकी बहनों ने भी अपीलार्थी एवं रेस्पो.–2 खीयाराम के पक्ष में हकतर्कनामा कर दिया। वर्ष 1998 में खसरा नम्बर 460/9 रकबा 2.4 बीघा भूमि संयुक्त परिवार के रूप में खरीद की गई थी इसलिए माता श्रीमती सोनीदेवी (प्रत्यर्थी–एक) के पक्ष में दस्तावेज पंजीबद्ध करवाये गये। बहस में आगे कहा कि सभी पक्षकारों के अलग अलग हकतर्कनामा एवं बक्शीशनामे के जरिये सम्पति प्राप्त हुई जिसमें विवादग्रस्त भूमि ख.नं. 460/9 अपीलार्थी के पक्ष में बख्शीशनामा लिखा गया था। बहस के निरन्तर में आगे बतलाया कि प्रत्यर्थी–2 खीयाराम ने बदनियति से अपीलार्थी की माता के नाम से जिला न्यायालय में दावा करवाया तथा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष भी भरण पोषण अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश करवाया है तथा अपीलाधीन आदेश प्राप्त कर उक्त भूमि को हड़पना चाहता है। लिखित बहस में अधिनियम की धारा 23 के तहत भरण पोषण अधिकरण को वरिष्ठ नागरिक द्वारा की गई सम्पति के अन्तरण को विशेष परिस्थितियों में शून्य करार देने का अधिकार

लगातार...

दिया गया है जैसे कोई अन्तरण इस शर्त के साथ किया गया हो कि जरूरत के समय दानकर्ता अथवा अन्तरणकर्ता को आधारभूत सुविधांए एवं भौतिक जरूरतों की पूर्ति करेगा तथा लाभकर्ता शर्त पूर्ण करने में असफल रहता है तो यह माना ———.जायेगा की सम्पति का अन्तरण कपट, धोखा,असम्यक असर से करवाया गया है एवं उसे शून्य करार दिया जायेगा, की ओर ध्यान कराते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

प्रत्यर्थीपक्ष–एक की ओर से लिखित बहस पेश हुई जिसमें बतलाया कि वो 81 वर्ष की वृद्ध विधवा महिला है तथा अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी–2 उसके जायन्दा पुत्र है। दिनांक 27.10.1998 को प्रत्यर्थी–1 ने स्वअर्जित आय से कृषि भूमि खसरा नम्बर 460/9 रकबा 2.4 बीघा ग्राम धिनाणा की ढाणी खरीद की गई तथा ग्राम पाल में उसकी पैतृक भूमि अलग से थी। बहस में आगे बतलाया कि ग्राम पाल के खसरा नम्बर 134 में स्थित कृषि भूमि के कपटपूर्वक निष्पादित करवाये गये हकतर्कनामा की जानकारी होने पर प्रत्यर्थी–1 ने उक्त भूमि के संबंध में निष्पादित हकतर्कनामा दिनांक 28.09.2010 को निरस्त करवाने हेतु एक वाद माननीय जिला न्यायालय जोधपुर में प्रस्तुत किया। अपीलार्थी का यह कथन गलत है कि बक्शीशनामा के संबंध में जिला न्यायालय जोधपुर में वाद विचाराधीन है। लिखित बहस में अन्य उज्ररात एवं विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि भरण पोषण अधिकरण द्वारा पारित आदेश पूर्णतया अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए जारी किया गया अन्त में अपील निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

प्रत्यर्थी–2 की ओर से भी लिखित बहस पेश हुई जिसमें कहा गया कि वह खेती का कार्य करता है, खेती के अलावा मेरे पास अन्य आय का कोई स्त्रोत नहीं है अतः भरण पोषण अधिकरण द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी कर प्रत्यर्थी–2 से 5000/– रूपये भरण पोषण दिलाने का आदेश दिया गया, उसे निरस्त कराया जाय।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 23 में स्पष्ट है कि वरिष्ठ नागरिक, जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात उपहार के जरिये या अन्य तरीके से सम्पति अन्तरण करता है तथा अन्तरिणी द्वारा भौतिक सुख सुविधाएं एवं भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करने में असफल रहने पर भरण पोषण अधिकरण शून्य घोषित करने में सक्षम है। प्रत्यर्थी/प्रार्थीया सोनीदेवी ने अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष के अपने प्रार्थना–पत्र में कपटपूर्वक एवं असम्यक असर के अधीन अप्रार्थी–1/अपीलार्थी के पक्ष में किये गये बख्शीशनामा दिनांक 07.09.10 को निरस्त कर शून्य घोषित करने एवं 10000/– रूपये मासिक भरण पोषण देने की इस्तदुआ की गई। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए अपीलाधीन आदेश जारी किया गया अतः अपीलार्थी

लगातार...

अधिकरण

(14)

पक्ष द्वारा अपील में उठायी गई आपत्तियां एवं दिये गये न्याय निर्णय के दृष्टांश इस अपील में ग्राह्य योग्य नहीं होने से अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है, परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ अधिकरण को सूचनार्थ प्रेषित हो।